भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

वित्तीयसेवाएं वभिाग

लोक सभा

तारांकति प्रश्नसंख्या *119

(जसिका उत्तर09 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दयिा जाना है)

जानबूझकर चूक करने वालों के ऋण का पुनर्गठन

119. श्रीसंजय धोत्रेः
श्रीराहुल शेवालेः

क्या वित्तमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येकवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जानबूझकर चूक करने वालों के ऋण को पुनर्गठति कयिा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकारके पुनर्गठनमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और बैंक-वार कतिनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) देश में जानबूझकर चूक करने वालों के ऋण के पुनर्गठन में बैंकों द्वारा क्या मानक/मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान जानबूझकर चूक करने वालों के ऋण के पुनर्गठनमें बैंकों द्वारा उक्त मानकों/मानदंड का पालन नहीं कएि जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं और यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान जानबूझकर चूक करने वालों के ऋण के पुनर्गठन के कारण बैंकों की गैर-नष्पिादनकारी आस्तयिों का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा बैंक-वार क्या उपचारात्मक उपाय कएि गए हैं?

उत्तर

वित्तमंत्री(श्रीअरुण जेटली)

(क) से (घ): एक ववरिण सदन के पटल पर रख दयिा गया है।

*****

'जानबूझकर चूक करने वालों के ऋण का पुनर्गठन'के संबंध में श्रीसंजय धोत्रेऔर श्रीराहुल शेवाले द्वारा पूछे गए 09 फरवरी, 2018 के लोक सभा तारांकति प्रश्नसंख्या *119 के भाग (क) से (घ) के उत्तरमें उल्लखिति ववरिण।

(क) से (घ): भारतीय रजिर्वबैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसार, सामान्यतया इरादतन चूककर्ता पुनर्संरचना के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, इरादतन चूककर्ताओं के ऋण को पुनर्संरचतिकयिा जा सकता है बशर्तेकि इरादतन चूककर्ताके रूप में उधारकर्ताको वर्गीकृत कए जाने के कारणों की समीक्षाकरने के पश्चात संयुक्त देयता मंच (जेएलएफ) इससे संतुष्ट हो कि उधारकर्ताइरादतन चूक में सुधार करने की स्थतिि में है और जेएलएफ में शामलि अलग-अलग बैंक के बोर्ड, जनि्होंने उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृतकयिा है, पुनर्संरचनाको अनुमोदति करें।

सार्वजनकिक्षेत्रके बैंकों ने यह सूचति कयिा है कि वगित तीन वर्षतथा वर्तमानवर्ष के दौरान इरादतन चूककर्ताओंके ऋणों की कोई पुनर्संरचनानहीं की गई है।

*****